

तारीख  
हुकम

30<sup>09</sup>  
2024

पत्रावली पैरा हुई। पत्रावली का अवलोकन

2082

किया। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्राप्त भूलेख का


23/10/24

आक. नं. 427, 428, 865/429 कुल किला 03

कुल 20.1643 हे. भूमि को राजगामी संयोजित  
घोषित करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है।

उक्त संवध में "The Rajasthan Escheats  
Regulation Act 1956" और "The Rajasthan  
Escheats Rules 1957" का अध्ययन किया गया।  
उक्त नियम एवं अध्यायों के तहत इस न्यायालय को  
सुनवाई का अधिकार नहीं है।

अतः प्रकरण तहसीलदार धौलपुर को  
इस निर्देश के साथ वापिस निपवाया जाता है कि  
यह "The Rajasthan Escheats Regulation, Act-1956  
And Rules 1957" के तहत रिपोर्ट तैयार कर  
प्रकरण अमानत जिला कलेक्टर भरोपड़ धौलपुर  
के समक्ष प्रस्तुत करें। इस न्यायालय द्वारा  
कोई कार्यवाही प्रेषित नहीं है। अतः कार्यवाही  
इतनी स्तर पर समाप्त की जाती है। पत्रावली  
जो मल 26 मार्च 2024 को भेजा गया है उसे ध्यान दें।

  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज.)